

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday 23rd July 2007/Sravana 1st, 1929 (Saka)

No. 214

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, Kamla Market Delhi

"I have the honour to inform you that Dr. Jadish Mukhi, Dr Harshvardhan, Shri Sahab Singh Chauhan, Shri Ramesh Bidhuri, and Shri Dharam Deo Solanki, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 from Police Station I P Estate at 12.45 PM on 21.7.2007.

They were released at 1.00 PM from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार , 23 जूलाई 2007/ श्रावण 1, 1929 (शक)

संख्या- 214

विषय : सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, थाना ए0सी0 पी0, कमला मार्किट, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ: -

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि डा0 जगदीश मुखीए डा0 हर्ष वर्धन, श्री साहब सिंह चौहान, श्री रमेश बिधूडी और श्री धर्म देव सोलंकी माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के नियम 1978 के तहत इन्द्रप्रस्थ इस्टेट से दिनांक 21.07.2007 को दोपहर 1245 बजे गिरफ्तार किया गया। उन्हें, उसी दिन दोपहर 1300 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव